राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(ग्रुप–5)विभाग

क्रमांकःप.11(4)साप्र/ग्रुप–5/92 पार्ट जयपुर, दिनांकः 15-1-2013

आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 20.9.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए मैन्यू में सामान्य/राजकीय अतिथियों हेतु नाश्ता, भोजन(वेज/नॉनवेज)हेतु खाद्य तेल में निम्नानुसार संशोधन तुरन्त प्रभाव से किया जाता हैः–

		खाद्य तेल की स्केल					
क्र. सं.	मैन्यू आईटम	वेज/नानवेज(नाश्ता) सामान्य एवं राजकीय अतिथि			वेज/नानवेज(लंच/डीनर)(केवल राजकीय अतिथि)		
		वर्तमान	वृद्धि	कुल	वर्तमान	वृद्धि	कुल
1	पोहा	30	20	50 ग्राम	–	–	–
2	(अ)पनीर/मलाईकोफ्ता (ब)चावल/पुलाव	–	–	–	60 ग्राम	40 ग्राम	100 ग्राम
3	(अ) मीट/चिकन/फिश (ब) चावल/पुलाव	–	–	–	60 ग्राम	40 ग्राम	100 ग्राम

नोटः– 1. राजकीय अतिथियों हेतु नियमों में एक दिन में अधिकतम 5 मिनरल वाटर बोतल दिये जाने का प्रावधान है । अतः लंच/डीनर हेतु संशोधित मैन्यू में किये गये एक–एक बोतल के प्रावधान को पूर्व में अधिकतम 5 बोतल की सीमा तक ही सीमित माना जावेगा । अतः कंजम्पशन 5 बोतल प्रति राजकीय अतिथि से अधिक नहीं होगा ।

2. संशोधित मैन्यू में राजकीय अतिथियों हेतु लंच/डीनर के आईटम में सूप दिये जाने का प्रावधान किया गया है इस हेतु ब्रेडस्लाईस एक पीस, बटर/क्रीम 10 ग्राम प्रति सूप दोनों को मिलाकर प्रावधान किया जाता है ।

3.सामान्य/राजकीय अतिथि हेतु नाश्ते में नया आईटम पोहा नया जोड़ा गया है जिसे बनाने में विभिन्न सब्जियॉ इकजाई रूप से नाश्ता बनाने में 25 ग्राम सीमा तक कंजम्पशन में लाई जावें ।

यद्यपि उक्त 1 से 3 की संगणना प्रति ब्रेकफास्ट, लंच/डीनर के लिये की गई है किन्तु इसे इकजाई भोजन तैयार करने की स्थिति से प्रेरित मानकर वास्तविक उपभोग के आधार पर वर्तमान संशोधित अधिकतम सीमा से यदि कंजम्पशन कम हो तो तदानुसार खाद्य तेल को खर्चे में कम किया जावेगा ।

विश्राम भवनों में सामान्य व राज्य अतिथिगण के ब्रेकफास्ट/लंच/डीनर के वेज/नॉनवेज मैन्यू में संशोधन की उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के आई.डी. 101300033 दिनांक 7.1.2013 पर किये गये अनुमोदन के क्रम में जारी की जाती है ।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
शासन उप सचिव

L 85

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. उप सचिव(वीपी) मुख्यमंत्री, राजस्थान ।
2. उप शासन सचिव,वित्त(व्यय–2) को उनके उपरोक्त संदर्भ में ।
3. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल,सा0प्र0(ग्रुप–1)विभाग ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सा0प्र0(ग्रुप–4)विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त मैन्यू हेतु प्रतिवर्ष आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार राशि 1.60 लाख लगभग की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गई है (नोटशीट की प्रति संलग्न है) ।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान ।
7. समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान ।
8. प्रबन्धक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली ।
9. रक्षित पत्रावली ।

(राजीव जैन)
शासन उप सचिव